

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-24.09.2026

♦"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

♦आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता की गरिमा भंग करने के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व ₹50,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

♦वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा

थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त अखिलेश यादव, पुत्र स्वर्गीय शेषमणि यादव, निवासी ग्राम जगनन्दनपट्टी (किशुनदेवपुर), थाना गोपीगंज, जनपद भदोही द्वारा पीड़िता की गरिमा भंग करने से मामले में अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना- गोपीगंज, जनपद- भदोही के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विकशन"* के तहत चिन्हित व महिला/बाल सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी-श्री धीरज शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप श्री दुर्गेश मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), ज्ञानपुर भदोही द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2), एवं धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता के तहत सिद्धदोष अखिलेश यादव, पुत्र स्वर्गीय शेषमणि यादव, निवासी ग्राम जगनन्दनपट्टी (किशुनदेवपुर), थाना गोपीगंज, जनपद भदोही को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2), के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। उपर्युक्त जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

भदोही पुलिस द्वारा अपराधों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराने की कार्यवाही निरन्तर जारी है।